

न्यायालय सब जज, कहलगाँव, भागलपुर

पीठासीन पदाधिकारी :- अमित कुमार शर्मा

1/2

दीवानी वाद संख्या 297 / 2002

06.09.2022

सत्यनारायण मंडल व अन्य बनाम राजकुमार चौधरी व अन्य
आदेश

उभय पक्ष की हाजरी है। प्रस्तुत वाद वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 4 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 24.05.2022 व प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 08.07.2022 पर आदेश हेतु नियत है। उभय पक्षों को उक्त आवेदन व प्रतिउत्तर पर सुना जा चुका है। आज केवल वादी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होते हैं। प्रतिवादी के अधिवक्ता अनुपस्थित है।

वादी द्वारा यह आवेदन इस न्यायालय द्वारा इस वाद में पारित निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 08.06.2018 को निरस्त करने व निषेधाज्ञा आवेदन से वादीगण को उन्मोचित करने हेतु दाखिल किया है उक्त प्रावधान का अवलोकन करने के पश्चात् यह न्यायालय यह पाती है कि आदेश 39 नियम 4 के अन्तर्गत केवल तभी आदेश पारित किया जा सकता है जबकि आवेदक न्यायालय को या तो इस बिन्दु पर संतुष्ट करें कि आदेश पारित होने के पश्चात् परिस्थितियों में कुछ इस प्रकार के बदलाव आ गये हैं कि उक्त निषेधाज्ञा आदेश को निरस्त करना न्यायहित में आवश्यक है या न्यायालय को आवेदक इस बिन्दु पर संतुष्ट करे कि न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश से उक्त पक्षकार को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

परन्तु वादी द्वारा दिये गये आवेदन में इन दोनों बिन्दुओं पर कोई भी स्पष्ट कथन या इन दोनों बिन्दुओं पर न्यायालय को संतुष्ट करने हेतु कोई भी दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। वादी द्वारा निषेधाज्ञा आदेश को गुण-दोष के आधार पर ही इस आवेदन के माध्यम से निरस्त कराने की मांग की गयी है। जो कि सर्वथा अनुचित है।

प्रतिवादी ने अपने प्रतिउत्तर में भी यह कथन किया है कि आवेदक वादी द्वारा इस आवेदन के संबंध में शपथपत्र नहीं दिया गया है व आवेदक द्वारा निषेधाज्ञा आदेश के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। अतः आवेदक वादी का यह आवेदन पोषणीय नहीं है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत व अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय यह पाती है कि वादी का यह आवेदन इस कारण से पोषणीय नहीं है कि वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 4 के अन्तर्गत दिये गये दोनों बिन्दुओं में से किसी भी बिन्दु पर न तो न्यायालय को संतुष्ट करने का प्रयास किया है न ही उन बिन्दुओं

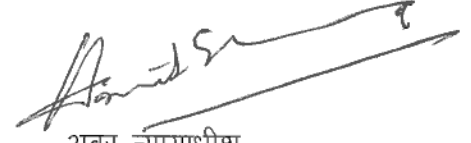
लगातार
06.09.2022

दीवानी वाद संख्या 297 / 2002
सत्यनारायण मंडल व अन्य बनाम राजकुमार चौधरी व अन्य

2/2

के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया है। वादी न तो परिस्थितियों के बदलाव का जिक्र करते हैं न ही वादी को हुई कोई भी अनुचित हानि के संबंध में ही कोई तथ्य प्रस्तुत करते हैं। अतः वादी का यह आवेदन न्यायहित में खारिज किया जाता है। यह वाद 20 साल पुराना है। अतः उभय पक्ष को यह निर्देश दिया जाता है कि इस वाद के त्वरित निष्पादित हेतु न्यायालय का सहयोग करें।

वाद दिनांक 17.10.2022 अग्रिम कार्रवाई हेतु ।


अवर न्यायाधीश
कहलगाँव